

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ. सौम्या झा, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

77 / 2024
24.10.2024

रामसहाय पुत्र काना जाति बैरवा निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार निवाई जिला—टोंक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 08.10.2024 मिसल नम्बर 413 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री योगेश व्यास, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट.


निर्णय

दिनांक 23.01.2025

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 08.10.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 198/1 रकबा 0.5059 है० किस्म चरागाह वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर मूंगफली की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 46/रु. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित ना होते भी अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


जिला कलेक्टर
टोंक



अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 198/1 रकबा 0.5059 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मूंगफली की फसल काशत कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की ओर से रामभजन की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 198/1 मे से रकबा 0.5059 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मूंगफली की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 396/2024 निर्णय दिनांक 09.02.2024 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्त ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 09.01.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि पर कभी कब्जा काशत नहीं रहा है। मैने उक्त वर्णित भूमि से पूर्व मे ही कब्जा हटा लिया था तथा वर्तमान मे मौके पर मेरा कोई कब्जा नहीं है और ना ही भविष्य मे उक्त आराजी पर मै कब्जा करूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार निवाई प्रकरण संख्या 413/2024 दिनांक 08.10.2024 मे अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा तक निर्णय को अपास्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,
टोक